अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-15/2024/1049/तीस-4-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः अनधिकृत/अवैध रूप से संचालित यात्री बसों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हुई बसों के बिना वैध प्रपत्रों के संचालित होने के दृष्टिगत शीर्ष स्तर से अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे यात्री बसों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

2- प्रसंगवश यह भी सूच्य है कि दिनांक 22.07.2024 तक वाहन पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल पंजीकृत यात्री बसों की संख्या 62841 है, जिसमें से 49186 वाहनों के पंजीयन/स्वस्थता प्रमाण-पत्र/बीमा वैध है। शेष 13661 वाहनों के पंजीयन/स्वस्थता प्रमाण-पत्र/बीमा समाप्त है। इस सम्बन्ध में जनपदवार सूचना का विवरण (संलग्नक-1) पर अवलोकनीय है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में समय-समय पर सड़क-सुरक्षा के अभियान के साथ-साथ अनधिकृत यात्री बसों के संचालन के विरुद्ध भी अभियान चलाये गए हैं। फिर भी, परिणाम की दृष्टि से ऐसे अभियानों के अपेक्षानुरूप प्रभावी नहीं होने के कारण अनधिकृत यात्री बसों का संचालन अनवरत जारी है।फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में भी अपेक्षित कमी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

4- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथमत: प्रत्येक जनपद के परिवहन अधिकारी/सम्बन्धित अन्य अधिकारी वाहन पोर्टल से अपने जनपद में परमिट प्राप्त ऐसे यात्री बसों के विवरण प्राप्त कर लें, जिनके रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस/इंश्योरेन्स/बीमा की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है। तदोपरान्त अपने जनपद में अनधिकृत एवं बिना वैध प्रपत्रों (परमिट/फिटनेस/ लाइसेंस/बीमा एवं कर अदायगी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/अभिलेख) के संचालित हो रहे प्रत्येक यात्री बसों के विरुद्ध चिन्हीकृत/विशिष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अभियान चलाकर एवं यात्री बसों के स्वामियों/परिवहन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों एवं उनके पदाधिकारियों के साथ संवाद/बैठक कर अनधिकृत रूप से यात्री बसों का संचालन न किये जाने हेतु उन्हें जागरूक करते हुए सुसंगत नियमों/प्राविधानों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि दिनांक 15.08.2024 तक वाहन पोर्टल पर प्रत्येक जनपद में प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस/इन्श्योरेंस/बीमा की वैधता अवधि समाप्त यात्री बसों के स्वामी नियमानुसार यथापेक्षित वैध प्रपत्रों को प्राप्त करके ही अपने वाहनों का संचालन करें। अन्यथा की स्थिति में, अनधिकृत एवं बिना वैध प्रपत्रों के संचालित यात्री बसों के विरूद्ध RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) के माध्यम से नियमानुसार स्क्रैपिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित बिना वैध प्रपत्रों के संचालित हो रहे यात्री बसों की संख्या शून्य हो सके।
संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से उक्तानुसार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही ससमय सुनिश्चित करायें।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0परि0निगम, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Other than School Buses information

SN	Office Name	Number of Buses	Registration/Fitness/ Insurance Valid Buses	Registration/Fitness/ Insurance Expired Buses
1	2	3	4	5
1	SAHARANPUR RTO	1251	1118	133
2	MuzaffarNagar	510	419	91
3	Bulandshahar	1004	789	215
4	GHAZIABAD	3140	2510	630
5	MEERUT RTO	2128	1693	435
6	Noida	4735	4196	539
7	Baghpat	1615	1164	451
8	SHAMLI ARTO	251	199	52
9	Bijnor	938	693	245
10	MORADABAD	933	822	111
11	RAMPUR	1208	962	246
12	JPNAGAR	473	352	121
13	Badaun	594	519	75
14	BAREILLY	1121	999	122
15	Pilibhit	263	205	58
16	SAHJAHANPUR	401	349	52
17	HARDOI	1249	1073	176
18	LAKHIMPUR KHERI	969	836	133
19	Lucknow	2511	1738	773
20	Raibareilly	804	689	115
21	Sitapur	564	497	67
22	Unnao	468	373	95
23	Amethi ARTO	167	113	54
24	Hapur	353	298	55
25	Sambhal ARTO	366	327	39
26	Bahraich	534	460	74
27	Barabanki ARTO	383	256	127
28	AYODHYA RTO	526	415	111
29	GONDA	455	357	98
30	Sultanpur	413	282	131
31	AMBEDKAR NAGAR	309	223	86
32	Shravasti	72	61	11
33	Balrampur	219	188	31
34	Azamgarh RTO	783	590	193
35	BASTI RTO	373	253	120
36	DEORIA	496	311	185
37	Gorakhpur RTO	1569	1190	379
38	Mau	292	214	78

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

39	Siddharth Nagar	277	210	67
40	Maharajganj	209	137	72
41	KUSHI NAGAR	353	265	88
42	Sant Kabir Nagar	241	128	113
43	Ballia	618	404	214
44	Ghazipur	533	287	246
45	JAUNPUR	985	582	403
46	MIRZAPUR RTO	345	234	111
47	SONBHADRA	582	402	180
48	VARANASI RTO	3114	2427	687
49	SANT RAVIDAS NAGAR	218	141	77
50	Chandauli	263	184	79
51	Prayagraj RTO	2365	1642	723
52	FATHEHPUR	498	385	113
53	PRATAPGARH	886	642	244
54	Kaushambi	175	115	60
55	Kannauj	248	173	75
56	Etawah	1111	694	417
57	Farrukhabad	452	317	135
58	Kanpur Dehat	785	645	140
59	KANPUR NAGAR	4419	4200	219
60	AURAIYA	274	230	44
61	Agra RTO	990	776	214
62	ALIGARH RTO	2059	1612	447
63	Etah	613	423	190
64	FEROZABAD	1022	545	477
65	Mainpuri	514	382	132
66	MATHURA	1500	1089	411
67	HATHRAS	416	218	198
68	Kasganj	256	209	47
69	BANDARTO	345	292	53
70	HAMIRPUR(UP)	224	195	29
71	Orai	308	260	48
72	JhansiRTO	589	519	70
73	Lalitpur	146	139	7
74	Mahoba	295	228	67
75	Chitrakoot	170	118	52
	Total	**62841**	**49186**	**13661**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।